Golden Research thoughts
Volume 2, Issue. 1, July 2012
ISSN:-2231-5063

Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

महिला सशक्तीकरण में स्त्री स्वातन्त्रय की भूमिका

अनुराधा अवस्थी [1], अकीला कुरैशी [2], मोहिनी सकरगाय [3]

[1]Emai : Klureshiakila@gmail.com

प्रस्तावना :–

मानव ने अपनी मेघा के प्रयास से विकास किया और प्रत्येक विकसित तथा सभ्य समाज को स्त्रियों और पुरूषों में बांटा गया है । मानव समाज के इसी यौन आधारित विभाजन को जेंडर के नाम से जाना जाता है जबकि जीवशास्त्रीय विशेषताओं के आधार पर विभाजन को सेक्स या लिंग भेद कहा जाता है । प्रत्येक समाज में पुरूषत्व और स्त्रीत्व के संबंध में एक रूढ़ीवादी परंपरागत अवधारणा विद्यमान है जो लिंगो में भिन्नता के कारण सामाजिक पदों और कार्यो में अन्तर की ओर इंगित करता है ।

इसी अवधारणा के कारण स्त्रियों और पुरूषों के कार्यो, भूमिकाओं तथा समाज की उनसे अपेक्षाओं में भिन्नता पाई जाती है । इन्हीं भिन्नताओं के कारण महिलाओं को पुरूषों से कमजोर कम बुद्धिमान, सुकोमल तथा भावुक माना जाता है पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पुरूषों के समान अधिकार एवं स्थान दिलाने हेतु आधुनिक समाज शास्त्री महिला सशक्तीकरण को आवश्यक मानते हैं ।

महिला सशक्तीकरण का अर्थ :–

महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है महिलाओं को शक्तिवान बनाना । यहाँ शक्ति का अर्थ शारीरिक बल से नहीं वरन् उनमें ऐसी क्षमताऐं उत्पन्न करने से है जिससे वे मानसिक रूप से इतनी सक्षम हो सके कि वे अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी संतानों को राष्ट्र के एक अच्दे नागरिक के रूप में विकसित कर सकें।

महिला सशक्तीकरण हेतु आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित किया जाये जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो तथा बौद्धिक रूप से विवेकशील हो ताकि परिवार और राष्ट्र के कल्याण में सहभागी बन सके ।

महिला सशक्तीकरण के इस व्यापक अर्थ की परिस्थिति को प्राप्त करने के प्रथम चरण के रूप में महिलाओं को व्यक्तित्व विकास रोजगार तथा जीवन साथी के चयन के संबंध में पुरूषों के समान अवसर प्रदान किया जाना तथा उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाना परम आवश्यक है । इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं से भेदभाव किया जाता है अथवा नहीं और यदि किया जाता है तो किस प्रकार का ।

डॉ.दिपाली सक्सेना के अनुसार –

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायन्त्रता से है । भारतीय समाज में महिला सशक्तीकरण से आशय प्राथमिक रूप में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक, राजनीतिक दशाओं में सुधार लाना है ।

कुछ समाजशास्त्री यह मानते हैं कि महिला सशक्तीकरण से स्त्री पुरूष एक समान सामाजिक स्तर पर आ जायेंगे तथा उनका संघर्ष

Please cite this Article as : *अनुराधा अवस्थी, अकीला कुरैशी , मोहिनी सकरगाय ,महिला सशक्तीकरण में स्त्री स्वातन्त्रय की भूमिका* **: Golden Research Thoughts (July; 2012)**

समाप्त हो जायेगा ।

कुमार मनीष के अनुसार –

महिला सशक्तीकरण की दिशा में महिला पुरूष संघर्ष की समाप्ति एक मील का पत्थर साबित हो सकती है इस संघर्ष की समाप्ति पर शांति की स्थापना जैसे विषयों पर लिंग समानता के लिये समान्वित रूप से सक्रिय होकर काम करना अनिवार्य होगा ।
डॉ.नीरू रस्तोगी के अनुसार – दमन उत्पीड़न और शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था का अंत होना महिला सशक्तीकरण हेतु सबसे अधिक आवश्यक है महिलाओं को अनुचरी के स्थान पर सहचरी बनाया जाना चाहिये ।

आशारानी व्होरा के अनुसार –

नारी स्वातंत्र या समानता हमारे सामान्य विकास कार्यक्रमों का अंग है परन्तु सरकारी कार्यवाही तब तक न तो कारगर और न ही पर्याप्त सिद्ध होगी जब तक कि महिलाएँ स्वयं अपने अधिकार संबद्ध दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं होगी ।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार –

नारी स्वतंत्रता भारत के लिये विलासिता नहीं अपितु राष्ट्र की भौतिक वैचारिक और आत्मिक संतुष्टि के लिये अनिवार्य बन गई है ।

महिला सशक्तीकरण हेतु आवश्यक है :–

1.महिला शिक्षा का प्रसार
2.महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना
3.महिला के स्वास्थ में सुधार
4.मातृ मृत्यु दर में कमी
5.महिला पुरूषों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना
6.महिला द्वारा महिलाओं की सहायता
7.महिला पुरूष संघर्षो का अंत
8.एक दूसरे के कार्यो में महिला और पुरूषों की सहभागिता

महिला सशक्तीकरण में बाधाएँ :–

1.महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा
2.आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर होना
3.महिलाओं के स्वास्थ का निम्न स्तर
4.महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर उपलब्ध न होना
5.महिला द्वारा महिला का शोषण
6.पुरूषों द्वारा महिलाओं का शोषण
7.महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की कमी
8.महिलाओं और पुरूषों में प्रतिस्पर्धा

शोध पद्धति :–

महिलाओं के साथ संभावित भेदभाव को जानने हेतु एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया तथा 60 छात्राओं से जानकारी एकत्र की गई इनमें से 20 कला संकाय की 20 गृह विज्ञान संकाय तथा 20 वाणिज्य संकाय की छात्राऐं थी । इन्हीं छात्राओं की माताओं से भी जानकारी एकत्रित की गई तथा यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके साथ महिला होने के नाते क्या भेदभाव किये जा चुके हैं ।

विश्लेषण :–

महिलाओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के भेदभाव के संदर्भ में जिन परिवारों से जानकारी एकत्र की गई उसके विश्लेषण से निम्न जानकारी प्राप्त हुई –

परिवार के सदस्यों की संख्या :–

अध्ययन में सम्मिलित सभी परिवार खण्डवा तथा उसके आस–पास स्थित ग्रामों में रहने वाले थे यहाँ आज भी परिवारों की सदस्य संख्या शहरों से अधिक है 41ः परिवारों में 6 सदस्य, 25ः परिवारों में 5 सदस्य तथा 20ः परिवरों में 7 सदस्य, पाये गये केवल 13.33ः परिवारों में चार सदस्य थे इसका तात्पर्य है कि गांवों में संयुक्त परिवार प्रथा होने के कारण परिवारों का आकार बड़ा है ।

तालिका क्रमांक – 1
परिवार के सदस्यों की संख्या

क्र.	सदस्य संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	4	08	13.33
2	5	15	25.00
3	6	25	41.67
4	7	12	20.00
	योग	60	100.00

परिवार में शिक्षित सदस्यों की संख्या :– परिवारों में शिक्षित सदस्यों की संख्या कम है 30ः परिवारों में 3 सदस्य शिक्षित है, 28.33ः परिवारों में केवल 2 सदस्य शिक्षित है ये भी केवल साक्षर है महाविद्यालयीन स्तर तक शिक्षित सदस्यों की संख्या कम है । 26.67ः परिवारों में 4 सदस्य शिक्षित थे तथा 15ः परिवारों में 5 सदस्य शिक्षित थे ।

तालिका क्रमांक – 2
परिवार के शिक्षित सदस्यों की संख्या

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	2	17	28.33
2	3	18	30.00
3	4	16	26.67
4	5	09	15.00
	योग	60	100.00

व्यवसाय :–

प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित 35ः परिवारों के मुखिया का व्यवसाय मजदूरी है, 26.6ः का कृषि, 23.37ः का नौकरी तथा 15ः परिवार स्वयं का व्यवसाय करते हैं । मजदूरी तथा कृषि दोनों में ही आय कम प्राप्त होती है तथा

तालिका क्रमांक – 3
परिवार के मुखिया का व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	मजदूरी	21	35
2	कृषि	15	25
3	नौकरी	09	15
4	व्यवसाय	15	25
	योग	60	100.00

विशिष्ट प्रश्न :–

भेदभाव संबंधी प्रश्न :–

परिवारों में पुत्र तथा पुत्रियों से भिन्न–भिन्न अपेक्षाऐं की जाती है साथ ही परिवार पुत्रों को जो स्वतन्त्रता सहज ही प्रदान करता है वही पुत्रियों को प्रदान करना नहीं चाहता । महिलाओं और कन्याओं से परिवार द्वारा किये जाने वाले भेदभाव और उन्हें दी जाने वाली स्वतंत्रता के बारे में कन्याओं तथा उनकी माताओं के विचार जानने पर निम्न तथ्य सामने आये ।

1.38ः कन्याओं को लगता है कि उनके साथ भेद भाव किया जाता है जबकि 61ः यह मानती है कि परिवार उनके साथ पुत्र तथा पुत्रियों के बीच भेदभाव नहीं करता है माताओं से पूछे जाने पर 58.33ः माताओं ने बताया कि उनके साथ पुत्री के नाते भेदभाव किया गया 41.66ः महिलाओं को भेदभाव किये जाने का अनुभव नहीं हुआ ।

तालिका क्रमांक – 4
पुत्र तथा पुत्रियों में भेदभाव होता है

क्र.	भेदभाव होता है	छात्राऐं		माताऐं	
		संख्या	%	संख्या	%
1.	हाँ	23	38.33	35	58.33
2.	नहीं	37	61.66	25	41.66

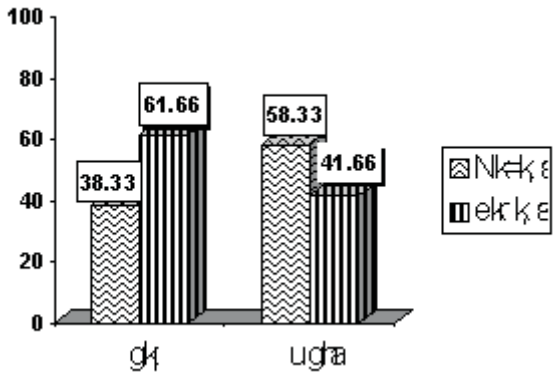

वर्तमान समय में केवल 20ः परिवार ने पुत्र और पुत्रियों से भिन्न–भिन्न अपेक्षाएं की जाती है जबकि माताओं के अनुसार उनके बचपन में 69ः परिवार पुत्रियों और पुत्रों से भिन्न–भिन्न अपेक्षाऐं रखते थे।

सशक्तीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में 93.3ः कन्याओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना 100ः कन्याओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना तथा 71.6ः में जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता होना बताया जबकि 61.6ः कन्याओं का मत था कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता महिला सशक्तीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण है 51.6ः कन्याऐं पुरूषों के समान अवसर उपलब्ध होने को सशक्तीकरण के लिये सबसे महत्वपूर्ण मानती है ।

क्र.		छात्राऐं		माताऐं	
		संख्या	%	संख्या	%
1.	महिलाओं का शिक्षित होना	56	93.30	51	85.00
2.	आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना	60	100.00	43	71.00
3.	जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता	43	71.60	22	36.00
4.	स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता	37	61.60	18	30.00
5.	पुरूषों के समान अवसर	31	51.60	22	36.00
6.	महिलाओं उत्पीड़न का अंत	45	75.00	31	51.60
	योग	60		60	

माताओं से यही जानकारी प्राप्त करने पर केवल 82: को तथा 71: आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होने को अर्थात् धनोपार्जन करने को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। पुरूषों के समान अवसर प्राप्त करने को 36: माताऐं सबसे महत्वपूर्ण मानती है जबकि केवल 33: जीवन साथी के चयन को सशक्तीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण मानती है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को केवल 30: माताओं ने महिला सशक्तीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण माना है ।

ध्यान से देखने पर हम यह पाते हैं कि माताओं तथा पुत्रियों के मतों में जो भिन्नता है वह महिलाओं के जागरूक होने तथा उनके विचारों के परिवर्तन की द्योतक है हम पाते हैं कि आधुनिक महिलाऐं (छात्राऐं) आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने तथा शिक्षित होने को महिला सशक्तीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण मानती है । वे जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को भी पहली पीढ़ी से अधिक महत्व देती है तथा पुरूषों के समान अवसर प्राप्त करने हेतु भी अधिक इच्छुक हैं ।

कन्याओं को दी जाने वाली स्वतंत्रता –

महिला सशक्तीकरण हेतु यह आवश्यक है कि हम महिलाओं को विकसित होने के पर्याप्त अवसर दे साथ ही उन्हें शिक्षित करके इस योग्य बना सके कि वे अपने परिवार के और समाज के हित में निर्णय ले सके । इस उद्देश्य से छात्राओं तथा उनकी माताओं से यह जानकारी प्राप्त की गई कि उन्हें उनके जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चयन की कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है ।

जैसा कि तालिका क्रमांक 6 से स्पष्ट है धन अर्जित करने हेतु किसी प्रकार के रोजगार करने की स्वतंत्रता 53: छात्रओं को प्राप्त है 58: छात्राओं को अकेले महाविद्यालय तथा सहेलियों के घर अकेले जाने तथा वेशभूषा के चयन की स्वतंत्रता है । परिधान और वेशभूषा के चयन की स्वतंत्रता 81: छात्राओं को प्राप्त है अर्थात् 20: छात्राओं को आज भी मनमानी वेशभूषा और परिधान पहनने की स्वतंत्रता नहीं है ।

तालिका क्रमांक – 6
महिलाओं को प्राप्त स्वतंत्रता

क्र.	महिलाओं को प्राप्त स्वतंत्रता		छात्राऐं		माताऐं	
			संख्या	%	संख्या	%
1	रोजगार करने की स्वतंत्रता	हाँ	32	53.5	18	30.00
		नहीं	28	46.6	42	70.00
2	अकेले बाहर जाने की स्वतंत्रता	हाँ	35	58.3	27	38.30
		नहीं	25	41.6	37	61.60
3	परिधान चयन की स्वतंत्रता	हाँ	49	81.6	21	35.00
		नहीं	11	18.3	39	65.00
4	व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता	हाँ	34	56.6	22	36.66
		नहीं	26	43.3	38	63.33
5	जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता	हाँ	12	20.0	6	10.00
		नहीं	48	48	54	90.00

छात्राऐं

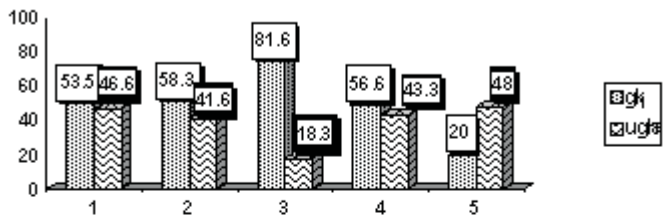

माताऐं

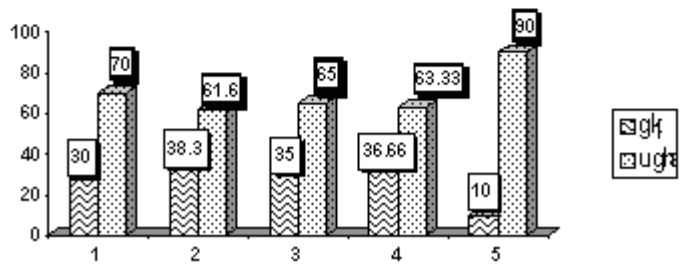

56.6: छात्राओं को अपनी रूचि के व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता है शेष 43.36: छात्राओं को केवल शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई है ।

यदि छात्राओं की माताओं से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करे तो हम पाते हैं कि केवल 30: माताओं को धनोपार्जन करने हेतु रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई थी । 38.3: महिलाओं को परिधान चयन की स्वतंत्रता प्राप्त थी केवल 10: महिलाओं को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी ।

इस प्रकार सारिणी क्रमांक 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त महिला का प्रतिशत विगत पच्चीस वर्षो में बढ़ा है शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार करने बाहर जाने का न्योता में यह वृद्धि अधिक हुई है जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता अभी भी केवल 10: छात्राओं को ही प्राप्त है ।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि खण्डवा की अधिकांश महिलाएँ सशाक्तीकरण का अर्थ नहीं जानती, वह समझती हैं कि सशक्त होने के लिये उन्हें शिक्षित होना तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है परन्तु स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होना तथा महिला उत्पीड़न का अंत होना उन्हें इतना महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता पुरूषों के समान अवसर प्राप्त होना लगभग आधी महिलाऐं अनिवार्य समझती हैं ।

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य सामाजिक सुविधाओं की महिला पुरूषों दोनों को समान रूप से उपलब्धता, राजनैतिक तथा आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी के समान अवसर, समान कार्य के लिये समान वेतन तथा वैधानिक नियमों के अन्तर्गत समान रूप से सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान किये जाने की सामाजिक व्यवस्था से है । संविधान से उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिया गया है तथा भारत में सभी राज्यों में उनके लिये अनेक विशेष योजनाऐं, छात्रवृत्ति एवं कार्यक्रम चलाये गये हैं परन्तु इसके उपरांत भी वास्तविकता यह है कि एक आम भारतीय महिला अभी भी निरक्षरता शारीरिक मानसिक प्रताड़ना एवं शोषण का शिकार हो रही है ।

महिला सशक्तीकरण का एक अभिप्राय नारी को अपने अधिकार सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है जिससे उन्हें जागरूक कर शक्तिशाली बनाया जा सके । महिला सशक्तीकरण वास्तव में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसका मूल उद्देश्य महिला पुरूष में बीच विद्यमान असमानता को दूर करके महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सक्षम बनाना है जिससे वे निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर सके और एक विवेक शील नागरिक के रूप में अपने राष्ट्र तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके ।

महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिये महिलाओं और पुरूषों की विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा जब तक महिलाओं के प्रति सोच और विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक मात्र कानून बना देने से महिला सशक्तीकरण नहीं हो सकता ।

एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब महिलाऐं शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में अपना योगदान प्रदान कर सके भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को व्यक्त करती हुई एक कविता 16 फरवरी को डॉ.प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति द्वारा अपने भाषण में पढ़ी गई थी जो इस प्रकार है :–

''हटा दो सब बाधाऐं मेरे पथ की,
मिटा दो आशंकायें सब मन की ,
जमाने को बदलने की शक्ति को समझो ।।''

प्रस्तुत अध्ययन से ये संकेत मिला है कि यद्यपि गांवों, कस्बों में महिलाओं के साथ अब भी भेदभाव होता है परन्तु महिलाऐं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो चुकीं है और धीरे–धीरे ही सही उनके प्रति समाज का सोच और पुरूषों की मानसिकता बदल रही है तथा आने वाले समय में महिला सशक्तीकरण का भविष्य उज्ज्वल है ।

संदर्भ :–

1.कुमार मनीष 2006 महिला सशक्तीकरण : दशा और दिशा प्रकाशक मधुर बुक्स दिल्ली पृष्ठ संख्या 35 ।
2.डॉ.दिपाली सक्सेना ''भारतीय समाज एवं महिला सशक्तीकरण'' 21 वीं सदी का महिला सशक्तीकरण ।
3.डॉ.नीरू रस्तोगी ''स्त्री सशक्तीकरण में आर्थिक स्वावलम्बन व शिक्षा की भूमिका'' 21 वीं सदी का महिला सशक्तीकरण ।
4.राम आहूजा ''भारतीय समाज'' परिवार विवाह और नातेदारी, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 122–139 ।
5.के.एल.शर्मा स्त्रियों की प्रस्थिति समता की खोज रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 192–205 ।
6.डॉ.धर्मवीर महाजन, डॉ.कमलेश महाजन नातेदारी विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्रविवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली पृष्ठ संख्या 111–115।
7.डॉ.डी.एस.बघेल, डॉ.श्रीमती किरण बघेल परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र लिंग एवं विकास का अर्थशास्त्र ।